भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/164/2020/एफ0 सी0/2022 **दिनांकः 24 /12/2020**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1710/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 5.6 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/41149/2019)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1398/FP/UK/ROAD/41149/2019 दिनांक 11-11-2020

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः–

1- ग्राम 'सेराड़' के आगे मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है क्योकि अंतिम दो habitations एक अन्य मुख्य मार्ग के समीप स्थित है। राज्य सरकार इस संबंध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करें।
2- As per the DSS analysis, 3 ha area found in MDF proposed in civil and soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted.
3- राज्य शासन द्वारा सी0ए0 योजना में प्रस्तावित राशि को वर्तमान दर के अनुसार पुनरीक्षित किया जायें।
4- Cost benefit analysis not found uploaded. State Govt. may upload the C/B analysis online.
5- Documents uploaded in Part II are not properly scanned. State Govt. may ensure that all the documents uploaded online are properly scanned.

प्रस्ताव को आगामी आर0 ई0 सी0 की बैठक में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण तथा संबंधित वन मंडल अधिकारी से अपेक्षित है कि वह उपरोक्त लिखित बिन्दु क्र0 01 पर आर0 ई0 सी0 के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)